

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI

No.F 11(45)/LJ&LA/Admn/17/3664

Dated : 07-08-17

To

The Deputy Secretary,
Question Branch,
Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat,
Delhi.

Sub: Vidhan Sabha Un-starred Question No.55 raised by Sh. Rajesh Gupta, MLA,

Sir,

With reference to your letter No.एफ-11(बी-1)/VI/2015-19/वि.स.स./प्रश्न शा./3923 दिनांक 28.07.2017 on the above cited subject, I am directed to forward herewith reply (100 copies) of Vidhan Sabha un-starred question No.55 along with PDF file for further necessary action at your end. The PDF file has been emailed at questionbranchlas@gmail.com also.

This issues with the prior approval of Hon'ble Minister (Law)

Yours faithfully,

Encl: As above.


(MANI BHUSHN MALHOTRA)
DEPUTY SECRETARY(ADMN)

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
8वा तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली- 110002

अतारंकित प्रश्न संख्या :- 55

दिनांक : 08.08.2017

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री राजेश गुप्ता, विधायक

क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करंगे कि:

प्रश्न सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि वर्तमान सरकार द्वारा अप्रत्याशित बहुमत पाने के बावजूद इसके विधायको को फुटपाथ पर चलने जैसे मुलभूत अधिकारों के लिए नगर निगम तथा यातायात पुलिस के पास जाना पड़ता है	ऐसी कोई सूचना इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।
ख)	यदि हां तो इसके क्या कारण है;	उपरोक्त
ग)	क्या यह भी सत्य है कि आम जनता के अधिकारों के लिए उपराज्यपाल महोदय ही सक्षम प्राधिकारी हैं और	उपराज्यपाल का पद एक सर्वेधानिक पद है। दिल्ली सरकार के कार्य विभिन्न विभागों में व्यावसायिक नियमों का आबंटन (ABR) के अनुसार बांटे गए है जिसे सम्बंधित विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
घ)	यदि हां, तो वे कौन से विभाग हैं जहाँ उपराज्यपाल महोदय ही विभागीय प्रमुख है?	उपरोक्त

(मणि भूषण मल्होत्रा)

उप-सचिव (प्रशा.)

MANI BHUSHAN MALHOTRA
Deputy Secretary
Department of Law, Justice & LA
Govt. of NCT of Delhi